न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 79/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/202

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
जालाराम पुत्र राजाराम, जाति–जाति–रेबारी, निवासी–डांगरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	राजाराम पुत्र सोनाराम वगैरह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 20.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भागीरथराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 05.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी आराजी वांके सरहद मौजा डांगरा, पटवार हल्का–अरणाय में खेत खसरा नंबर 496 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म बारानी उत्तम की आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का 1/14 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आया हुआ है। जिसे वादपत्र की कार्यवाही में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक आराजी में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के 1/4 हिस्से के प्रत्येक कण कण में प्रार्थी का हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार नोशनल शेयर पैदा होने से अप्रार्थी संख्या 1 को उसे आगे अप्रार्थी संख्या 2 को बैचान करने का कोई विधिक, कानूनीया अधिकार नहीं होते भी विधि विरूद्व व अवैध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 दिमागी हालत ठीक नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करवाई गयी बैचान रजिस्ट्री प्रार्थी के विरूद्व शून्य प्रभावी है जिससे प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 के 1/4 हिस्से में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार नोशनल शेयर पैदा होने से प्रार्थी का हिस्सा आया होने से प्रार्थी खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी होने से दावा हाजा खातेदारी घोषणा का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा, हिस्सा, बंट व प्रार्थी के सहज शांतिपूर्ण रहवास में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थी को अपने हिस्से, बंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

से जबरन बेदखल नहीं करे व करावें व मौका की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद के कायम रखें व रखावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मौजा डांगर में स्थित खसरा संख्या 496 रकबा 0.30 हैक्टेयर है। अप्रार्थी संख्या 1 की 1/4 हिस्से की खातेदारी आई हुई है शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा डांगरा, पटवार हल्का–अरणाय के खसरा नंबर 496 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म बाराजी उत्तम भूमि का अप्रार्थीगण आगे से आगे किसी अजनबी क्रेता को बैचान, हस्तांतरण, रहन नहीं करें व प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **05.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचोर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:17 IST
Reason: SelfAttested